

THE MADHYA PRADESH NAGAR TATHA GRAM NIVESH ADHINIYAM, 1973

(M.P. Act No. 23 of 1973)

[16th April 1973]

An Act to make provision for planning and development and use of land; to make better provision for the preparation of development plans and zoning plans with a view to ensuring town planning schemes are made in a proper manner and their execution is made effective; to constitute Town and Country Planning Authority for Proper implementation of town and country development plan, to provide for the development and administration of special areas through Special Area Development Authority; to make provision for the compulsory acquisition of land required for the purpose of the development plans and for purposes connected with the matters aforesaid.

Be it enacted by the Madhya Pradesh Legislature in the Twenty-fourth Year of the Republic of India as follows :—

CHAPTER I PRELIMINARY

1. Short title, extent commencement and application.—(1) This Act may be called the Madhya Pradesh Nagar Tatha Gram Nivesh Adhiniyam, 1973.

(2) It extends to the whole of Madhya Pradesh.

(3) It shall come into force at once.

(4) Nothing in this Act shall apply to,—

(a) lands comprised within a cantonment under the Cantonments Act, 1924 (No. 2 of 1924);

(b) lands owned, hired or requisitioned by the Central Government for the purpose of naval, military and air force works;

(c) lands under the control of railway administration for the purpose of construction and maintenance of works under Chapter III of the Indian Railways Act, 1890 (No. 9 of 1890).

2. Definitions.—In this Act, unless the context otherwise requires,—

- (a) “agriculture” includes horticulture, farming, raising of annual or periodical crops, fruits, vegetables, flowers, grass, fodder, trees or any kind of cultivation of soil, the reserving of land for fodder, grazing or thatching grass, breeding and keeping of livestock including cattle, horses, donkeys, mules, pigs, breeding of fish and keeping of bees, and the use of land ancillary to the farming of land, but does not include—
- (i) keeping of cattle purely for the purpose of milking and selling the milk and milk products;
- (ii) a garden which is an appendage of buildings, and the expression ‘agricultural’ shall be construed accordingly.

मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973

(क्रमांक 23 सन् 1973)

(दिनांक 16 अप्रैल, 1973 को राष्ट्रपति की अनुमति प्राप्त हुई, अनुमति ‘मध्यप्रदेश राजपत्र’ (असाधारण), में दिनांक 26 अप्रैल, 1973 को प्रथम बार प्रकाशित की गई।)

भूमि के निवेश तथा विकास एवं उपयोग के लिये उपबन्ध करने, नगर निवेश स्कीमों का उचित रीति में बनाया जाना तथा उनके निष्पादन का प्रभावी बनाया जाना सुनिश्चित करने की दृष्टि से विकास योजनाएँ तैयार करने के लिये अधिक अच्छे उपबन्ध करने, नगर तथा ग्राम विकास योजना के उचित कार्यान्वयन के लिये नगर तथा ग्राम निवेश प्राधिकारी का गठन करने, विशेष क्षेत्रों का विकास तथा प्रशासन विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकारी के माध्यम से करने के लिये उपबन्ध करने, विकास योजनाओं के प्रयोजनार्थ अपेक्षित भूमि के अनिवार्य अर्जन के लिये तथा पूर्वोक्त विषयों से सम्बन्धित प्रयोजनों के लिये उपबन्ध करने के हेतु अधिनियम।

भारत गणराज्य के चौबीसवें वर्ष में मध्यप्रदेश विधान मण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :-

पहला अध्याय प्रारम्भिक

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार, प्रारम्भ तथा लागू होना.—(1) यह अधिनियम, मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 कहा जा सकेगा।

(2) इसका विस्तार सम्पूर्ण मध्यप्रदेश पर है।

(3) यह तत्काल प्रवृत्त होगा।

(4) इस अधिनियम में की कोई भी बात—

(क) केन्टोनमेंट एक्ट, 1924 (क्रमांक 2 सन् 1924) के अधीन किसी छावनी के भीतर समाविष्ट भूमियों को,

(ख) नौसेना, सेना तथा वायु सेना के संकर्मों के प्रयोजन के लिये केन्द्रीय सरकार द्वारा अपने स्वामित्व में रखी गई, भाड़े पर ली गई या अधिग्रहण की गई भूमियों को,

(ग) इण्डियन रेल्वेज एक्ट, 1890 (क्रमांक 9 सन् 1890) के अध्याय 3 के अधीन, संकर्मों के सन्निर्माण तथा अनुरक्षण के प्रयोजन के लिये रेल प्रशासन के नियंत्रणाधीन भूमियों को, लागू नहीं होगी।

2. परिभाषाएँ.— इस अधिनियम में, जब तक कि संदर्भ में अन्यथा अपेक्षित न हो,—

(क) “कृषि” के अन्तर्गत आता है उद्यान-कृषि, कृषि-कर्म (फारमिंग), वार्षिक या नियतकालिक फसलें, फल, सब्जियाँ, फूल, घास, चारा, वृक्ष उगाया या किसी भी प्रकार की मृदा-कृषि, चारे, चराई या छप्पर छाने की घास के लिये भूमि आरक्षित करना, जीव-धन, जिसके अन्तर्गत मवेशी, घोड़े, गधे, खच्चर, सुअर आते हैं, का अभिजनन तथा पालन, मछली का अभिजनन तथा मधुमक्खियों का पालन तथा भूमि का ऐसा उपयोग जो भूमि पर कृषि-कर्म करने के लिये सहायक हो, किन्तु उसके अन्तर्गत निम्नलिखित नहीं आते हैं—

(एक) केवल दूध निकालने तथा दूध और दूध के उत्पादन बेचने के प्रयोजनार्थ मवेशियों का पालन,

(दो) कोई उद्यान जो किसी भवन का उपयोग हो,

(4) A copy of the budget as sanctioned under sub-section (3) shall be submitted to the State Government and the Director.

(5) The State Government may direct the Town and Country Development Authority to make such modification in the budget as may be deemed necessary.

(6) The Town and Country Development Authority shall, within thirty days of the date of receipt of such directions either accept the modification or make further submission to the State Government.

(7) The State Government, after considering the submissions of the Town and Country Development Authority, shall pass such orders thereon as may be deemed fit and from the date of such orders, the budget shall be deemed to be in force, with modifications ordered by the Government.

63. Power to borrow money.—Subject to such terms and conditions as may be prescribed the Town and Country Development Authority may, with the prior sanction of the State Government, issue debentures or borrow money from Government or the open market for all or any of the purposes of this Act.

¹[63-A. Recovery of arrears as arrears of land revenue.—Any sum due to the Town and Country Development Authority under this Act shall be recoverable in the same manner as arrears of land revenue.]

CHAPTER VIII SPECIAL AREAS

64. Constitution of special areas.—(1) If any area, town or township, is designated as a special area in the regional plan, or if the State Government is otherwise satisfied that it is expedient in the public interest that any area, town or township should be developed as a special area. It may, by notification, designate the area as a special area, which shall be known by such name as may be specified therein.

(2) Such notification shall define the limits of special area.

(3) The State Government may, by notification,—

(a) alter the limits of the special area so as to include therein or exclude therefrom such area as may be specified in the notification;

(b) declare that the special area shall cease to be so.

(4) ²[x x x]

³[65. Special Area Development Authority.—(1) Every special area shall have a Special Area Development Authority consisting of,—

(a) a Chairman;

(b) one or more Vice-Chairman; and

⁴[(c) such number of members as the State Government may determine from time to time out of whom at least two shall be women to be appointed by the State Government.]

1. Ins. by M.P. Act No. 12 of 1975 (w.e.f. 4-6-1975).
2. Omitted by M.P. Act No. 14 of 1994.
3. Subs. by M.P. Act No. 8 of 1996 (w.e.f. 17-4-1996).
4. Subs. by M.P. Act No. 25 of 1999.

धारा 63-65]

मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम 1973

30

(4) उपधारा (3) के अधीन मंजूर किये गये बजट की एक प्रति राज्य सरकार को तथा संघालक को भेजी जायगी।

(5) राज्य सरकार, नगर तथा ग्राम विकास प्राधिकारी को बजट में ऐसे उपान्तरण करने का निर्देश दे सकेगी जैसे कि आवश्यक समझा जाए।

(6) नगर तथा ग्राम विकास प्राधिकारी, ऐसे निर्देशों के प्राच होने की तारीख से तीस दिन के भीतर या तो उपान्तरण को प्रतिगृहीत कर लेगा या राज्य सरकार को और निवेदन करेगा।

(7) राज्य सरकार, नगर तथा ग्राम विकास प्राधिकारी के निवेदन पर विचार करने के पश्चात् उस पर ऐसे आदेश पारित करेगी जैसे कि उचित समझे जायें, और ऐसे आदेशों की तारीख से बजट सरकार द्वारा आदेशित उपान्तरणों के साथ प्रवृत्त हुआ समझा जायगा।

63. धन उधार लेने की शक्ति.— ऐसे निबन्धनों तथा ऐसी शर्तों के, जैसा कि विहित किया जाय, अध्याधीन रहते हुए, नगर तथा ग्राम विकास प्राधिकारी, राज्य सरकार की पूर्व मंजूरी से, इस अधिनियम के समस्त प्रयोजनों या उनमें से किसी प्रयोजन के लिये डिबेन्चर जारी कर सकेगा, या सरकार से खुले बाजार से धन उधार ले सकेगा।

¹[63-क. बकाया की पूराजस्व की बकाया के तौर पर वसूली.— बकाया की इस अधिनियम के अधीन नगर तथा ग्राम विकास प्राधिकारी को शोष्य कोई राशि उसी रीति में वसूली योग्य होगी जिसमें कि पूराजस्व का बकाया वसूली योग्य होता है।]

आठवां अध्याय

विशेष क्षेत्र

64. विशेष-क्षेत्र का गठन.— (1) यदि किसी क्षेत्र, नगर या नगरी को प्रादेशिक योजना में विशेष क्षेत्र के रूप में अभिहित किया गया हो, या यदि राज्य सरकार का किसी अन्य सरकार से यह समझाना हो जाये कि लोकहित में यह समीचीन है कि किसी क्षेत्र, नगर या नगरी को विशेष-क्षेत्र के रूप में विकसित किया जाय तो वह अधिसूचना द्वारा उस क्षेत्र को विशेष क्षेत्र के रूप में अभिहित कर सकेगी जो ऐसे नगर से जाना जायगा जैसा कि उसमें (अधिसूचना में) विनिर्दिष्ट किया जाय।

(2) ऐसी अधिसूचना में विशेष-क्षेत्र की सीमाएँ परिनिश्चित की जायेंगी।

(3) राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा—

(क) विशेष-क्षेत्र की सीमाओं में इस प्रकार परिवर्तन कर सकेगी जिससे कि ऐसा क्षेत्र, जैसा कि अधिसूचना में विनिर्दिष्ट किया जाय, उसमें सम्मिलित किया जा सके या उसमें से अपवर्जित किया जा सके;

(ख) यह घोषणा कर सकेगी कि विशेष-क्षेत्र उस रूप में नहीं रहेगा।

²[(4) विलोपित।]

³[65. विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकारी.— (1) प्रत्येक विशेष क्षेत्र में एक विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकारी होगा, जिसमें—

(क) अध्यक्ष;

(ख) एक या अधिक उपाध्यक्ष, और

⁴[(ग) सदस्यों की ऐसी संख्या जो कि राज्य सरकार समय-समय पर अवधारित करे जिसमें से कम से कम दो महिलायें होंगी जो राज्य सरकार द्वारा नियुक्त की जाएंगी।]

1. अधिनियम क्र. 12 सन् 1975 द्वारा अतःस्थापित।
2. अधिनियम क्र. 14 सन् 1994 द्वारा विलोपित।
3. अधिनियम क्र. 8 सन् 1996 द्वारा प्रतिस्थापित।
4. अधिनियम क्र. 25 सन् 1999 द्वारा प्रतिस्थापित।

(2) The names of the Chairman, Vice-Chairman and other members shall be notified in the Gazette.

(3) The term of office of Chairman, Vice-Chairman and other members shall be such as may be prescribed.

(4) The salaries and allowances payable to, and other terms and conditions of service of the Chairman and Vice-Chairman shall be such as may be prescribed.

(5) The members shall not be entitled to any salary but shall receive such allowances as may be prescribed.]

66. Incorporation of Special Area Development Authority.—Every Special Area Development Authority shall be a body corporate with perpetual succession and a common seal and shall have power to acquire, hold and dispose of property, both movable and immovable and to contract and sue and be sued by the name specified in the notification under sub-section (1) of Section 64.

¹[67. **Staff.**—Every Special Area Development Authority shall have such officers and servant as may be necessary and proper for the efficient discharge to its duties, appointments to the posts of officers and servants included in the State cadre of the relevant cadre of the Development Authority Service shall be made by the State Government and to those posts of officers and servants included in the local cadre of the said services shall be made by the concerned Town and Country Development Authority in accordance with the provisions of Chapter IX-A and rules made thereunder :—

Provided that no posts shall be created in any authority save with the prior sanction of the State Government.]

68. Functions.—The functions of the Special Area Development Authority shall be,—

- (i) to prepare, if required to do so, the development plan for the special area;
- (ii) to implement the development plan after its approval by the State Government;
- (iii) for the purpose of implementation of the plan, to acquire, hold, develop, manage and dispose of land and other property.

²[(iv), (v) & (vi) x x x]

(vii) to otherwise perform all such functions with regard to the special area as the State Government may, from time to time, direct :

Provided that functions specified in clauses (v) and (vi) shall not be performed unless so required by the State Government.

69. Powers.—The Special Area Development Authority shall,—

- (a) for the purpose of acquisition of land, exercise the powers and follow the procedure which a Town and Country Development Authority have or follows under this Act;
- (b) for the purpose of planning, exercise the powers which the Director has under this Act;

1. Subs. by M.P. Act No. 11 of 1991 (w.e.f. 16-7-1991).

2. Omitted by M.P. Act No. 14 of 1994.

(2) अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और अन्य सदस्यों के नाम राजपत्र में अधिभूषित किये जायेंगे।

(3) अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और अन्य सदस्यों को पदावधि ऐसी होगी जैसी कि विहित की जाये।

(4) अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को देय वेतन तथा भत्ते और सेवा के अन्य निबंधन तथा शर्तें ऐसी होंगी, जैसी कि विहित की जाये।

(5) सदस्य किसी भी वेतन के हकदार नहीं होंगे किन्तु वे ऐसे भत्ते प्राप्त करेंगे जैसे कि विहित किये जायें।]

66. विशेष-क्षेत्र विकास प्राधिकारी का निगम.—प्रत्येक विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकारी एक निर्गमित निकाय होगा जिसका शाश्वत उत्तराधिकार होगा तथा जिसकी सामान्य मुद्रा होगी और जिसे स्थावर तथा जंगम दोनों प्रकार की सम्पत्ति अर्जित करने, धारण करने तथा उसका व्ययन करने और संचालित करने की शक्ति होगी और वह पाठ 64 की उपधारा (1) में विनिर्दिष्ट किये गये नाम से वाद चला सकेगा तथा उक्त नाम से उसके विरुद्ध वाद चलाया जा सकेगा।

¹[67. **कर्मचारिवृन्द.**—(1) प्रत्येक विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण में ऐसे अधिकारी और सेवक होंगे, जो उसके कर्तव्यों के दक्षतापूर्ण निर्वहन के लिये आवश्यक और उचित हों। विकास प्राधिकरण सेवा के सुसंगत संवर्गों के राज्य संवर्गों में सम्मिलित अधिकारियों और सेवकों के पदों पर नियुक्तियाँ राज्य सरकार द्वारा और उक्त सेवाओं के स्थानीय संवर्गों में सम्मिलित अधिकारियों और सेवकों के पदों पर नियुक्तियाँ संबंधित नगर तथा ग्राम विकास प्राधिकारी द्वारा नगर-क अध्याय और उसके अधीन बनाये गये नियमों के उपबन्धों के अनुसार की जायेंगी :

परन्तु किसी प्राधिकारी में कोई भी पद राज्य सरकार की पूर्व मंजूरी से ही सृजित किया जायेगा अन्यथा नहीं।]

68. कृत्य.—विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकारी के निम्नलिखित कृत्य होंगे—

(एक) विशेष क्षेत्र के लिये विकास योजना तैयार करना यदि ऐसा करने की उससे अपेक्षा की जाय,

(दो) विकास योजना को राज्य सरकार द्वारा उसके अनुमोदित कर दिये जाने के पश्चात् कार्यान्वित करना,

(तीन) योजना के कार्यान्वयन के प्रयोजन के लिये, भूमि तथा अन्य सम्पत्ति अर्जित करना, धारण करना, उसे विकसित करना, उसका प्रबन्ध तथा व्ययन करना,

²[(चार), (पांच) एवं (छ) विनियमित]

(सात) अन्य अर्थों में, विशेष क्षेत्र के बारे में समस्त ऐसे कृत्यों का, जिनके कि सम्बन्ध में राज्य सरकार, समय-समय पर निर्देश दे, पालन करना :

परन्तु खंड (पांच) तथा खंड (छ) में विनिर्दिष्ट किये गये कृत्यों का पालन तब तक नहीं किया जायगा जब तक कि राज्य सरकार द्वारा वैसी अपेक्षा न की जाय।

69. शक्तियाँ.—विशेष-क्षेत्र विकास प्राधिकारी—

(क) भूमि के अर्जन के प्रयोजन के लिये, ऐसी शक्तियों का प्रयोग करेगा, तथा ऐसी प्रक्रिया का अनुसरण करेगा, जो कि इस अधिनियम के अधीन किसी नगर तथा ग्राम विकास प्राधिकारी को प्राप्त है या जिसका कि वह अनुसरण करता है।

(ख) निवेश के प्रयोजन के लिये, ऐसी शक्तियों का प्रयोग करेगा, जो कि इस अधिनियम के अधीन संचालक को प्राप्त है।

1. अधिनियम क्र. 11 सन् 1991 द्वारा प्रतिस्थापित।

2. अधिनियम क्र. 14 सन् 1994 द्वारा विलोपित।

धारा 70-74]

1[(c) & (d) x x x]

70. **Fund of Special Area Development Authority.**—(1) Every Special Area Development Authority shall have its own fund and all receipt of that authority shall be credited thereto and all payments of that authority shall be made therefrom.

(2) The Special Area Development Authority may for all or any of the purposes of this Act,—

- (a) accept grants from the State Government or a local authority;
- (b) raise loans, subject to such terms and conditions as may be prescribed.

71. **Annual estimates.**—(1) The Chairman shall lay, not later than 10th of March every year, before the Special Area Development Authority an estimate of the income and of the expenditure of that authority for the year commencing on the first day of April next ensuing in such detail and form as that authority may from time to time direct.

(2) Such estimate shall make provision for the due fulfilment of all liabilities of the Special Area Development Authority and for the efficient implementation of this Act and shall be complete and a copy thereof shall be sent to each member that authority at least ten clear days prior to the meeting before which the estimate is to be laid.

(3) The Special Area Development Authority shall consider the estimate so submitted and shall sanction the same either unaltered or subject to such alterations as it may think fit.

(4) The estimates so sanctioned shall be submitted to the State Government who may approve the same with or without modifications.

(5) If the State Government approves the estimates with modifications, the Special Area Development Authority shall proceed to amend the same and the estimates so modified and amended shall be in force during the year.

CHAPTER IX CONTROL

72. **State Government's power of supervision and control.**—The State Government shall have power of superintendence and control over the acts and proceedings of the officers appointed under Section 3 and the authorities constituted under this Act.

73. **Power of State Government to give directions.**—(1) In the discharge of their duties the officers appointed under Section 3 and the authorities constituted under this Act shall be bound by such directions on matters of policy as may be given to them by the State Government.

(2) If any dispute arises between the State Government and any authority, as to whether a question is or is not a question of policy, the decision of the State Government shall be final.

74. **Power of Government to review plans etc., for ensuring conformity.**—Notwithstanding anything contained in any other enactment for the time being in force, the State Government may, with a view to ascertaining that no repugnancy exists or arises with the provisions of this Act or the rules made thereunder, review the town improvement schemes, building plans or any permission for construction sanctioned or given by any authority under development plans, sanctioned under any enactment for

1. Omitted by M.P. Act No. 14 of 1994.

1[(ग) एवं (घ) विलीयिना]

70. **विशेष-क्षेत्र विकास प्राधिकारी की निधि**—(1) प्रत्येक विशेष-क्षेत्र के विकास प्राधिकारी की अपनी स्वयं की निधि होगी और उस प्राधिकारी के समस्त भुगतान उससे से (निधि में से) किये जायेंगे।

(2) विशेष-क्षेत्र विकास प्राधिकारी, इस अधिनियम के समस्त प्रयोजनों या उनमें से किसी भी प्रयोजन के लिये—

- (क) राज्य सरकार से या किसी स्थानीय प्राधिकारी से अनुदान प्रतिगृहीत कर सकेगा।
- (ख) ऐसे निवन्धनों तथा ऐसी शर्तों के, जैसा कि विहित किया जाय, अध्याधीन रहते हुए उधार ले सकेगा।

71. **वार्षिक प्राकलन**—(1) अप्रत्यक्ष प्रत्येक वर्ष अधिक से अधिक 10 मार्च तक विशेष-क्षेत्र विकास प्राधिकारी के समस्त आगामी अर्बैल मास के प्रथम दिन प्रारम्भ होने वाले वर्ष के लिये उस प्राधिकारी की आय तथा व्यय का एक प्राकलन ऐसे ब्यौचर तथा ऐसे प्रारूप में, जैसा कि वह प्राधिकारी समय-समय पर निर्देश दे, रखेगा।

(2) ऐसे प्राकलन में विशेष-क्षेत्र विकास प्राधिकारी के समस्त दायित्वों की सम्पत्ति पूर्ति के लिये तथा इस अधिनियम के दक्षतापूर्ण कार्यान्वयन के लिये उपबन्ध किया जायगा और ऐसे प्राकलन पूर्ण होगा तथा उसको एक-एक प्रति उस प्राधिकारी के प्रत्येक सदस्य को उस सम्मेलन के, जिसके कि समस्त प्राकलन रखा जाना है, कम से कम पूरे 10 दिन पूर्व भेजी जायगी।

(3) विशेष-क्षेत्र विकास प्राधिकारी, इस प्रकार प्रस्तुत किये गये प्राकलन पर विचार करेगा और उसे या तो अपरिवर्तित रूप में या ऐसे परिवर्तनों के, जैसे कि वह उचित समझे, अध्याधीन रहते हुए मंजूर करेगा।

(4) इस प्रकार मंजूर किये गये प्राकलन राज्य सरकार को भेजे जायेंगे जो कि उन्हें उपान्तर्गों के बिना अनुमोदित कर सकेगी।

(5) यदि राज्य सरकार प्राकलनों को उपान्तर्गों के साथ अनुमोदित करती है तो विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकारी उन्हें संशोधित करने की कार्यवाही करेगा और इस प्रकार उपान्तर्गित तथा संशोधित किये गये प्राकलन उस वर्ष के दौरान प्रवृत्त होंगे।

नवा अध्याय नियंत्रण

72. **पर्यवेक्षण तथा नियंत्रण की शक्ति**—राज्य सरकार को धारा 3 के अधीन नियुक्त किये गये अधिकारियों, इस अधिनियम के अधीन गठित किये गये प्राधिकारियों के कार्यों तथा कार्यवाहियों पर पर्यवेक्षण तथा नियंत्रण की शक्ति प्राप्त होगी।

73. **निर्देश देने की राज्य सरकार की शक्ति**—(1) धारा 3 के अधीन नियुक्त किये गये अधिकारी तथा इस अधिनियम के अधीन गठित किये गये प्राधिकारी, अपने कर्तव्य के निर्वहन में नीति विषयक मामलों की बाबत ऐसे निर्देशों द्वारा, जैसे कि उसे राज्य सरकार द्वारा दिये जाय, आबद्ध होंगे।

(2) यदि राज्य सरकार तथा प्राधिकारी के बीच इस बात पर कोई विवाद उत्पन्न हो कि कोई प्रश्न नीति विषयक प्रश्न है या नहीं, राज्य सरकार का विनिश्चय अन्तिम होगा।

74. **अनुमति सुनिश्चित करने के लिये योजनाओं आदि का पुनर्विलोकन करने की सरकार की शक्ति**—तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य अधिनियमों में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी राज्य सरकार नगर सुधार स्कीमों का, भवन योजनाओं का या सन्निर्माण के लिये किसी अनुज्ञा का जो तत्समय प्रवृत्त किसी अधिनियमों के अधीन किसी प्राधिकारी द्वारा मंजूर की गई हो या दी गई हो, पुनर्विलोकन यह अभिविश्चित करने की दृष्टि से कर सकेगी कि इस अधिनियम के या उसके अधीन बनाये गये नियमों के उपबन्धों को दृष्टिगत रखते हुए उनमें कोई प्रतिकूलता तो नहीं है या कोई प्रतिकूलता उत्पन्न तो नहीं होती

1. अधिनियम क्र. 14 सन् 1994 द्वारा विलीयित।